अमेरिका में गर्भपात का अधिकार

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** भारत में निर्णय, भारत में गर्भपात कानून

प्रसंग

हाल ही में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाले पचास वर्ष पुराने 'रो बनाम वेड' मामले में आए निर्णय को पलट दिया है, जिसके माध्यम से गर्भपात कराने को क़ानूनी मान्यता प्रदान की गई थी और उल्लिखित था कि संविधान गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा निर्णय लेने का अधिकार देता है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

रो बनाम वेड मामला

- सुप्रीम कोर्ट के 1973 के रो बनाम वेड के निर्णय को एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में संदर्भित किया गया था।
- इसने पूरे अमेरिका में गर्भपात को वैध कर दिया था। तब बहुमत की राय ने गर्भावस्था के पहले तीन महीनों के दौरान गर्भपात कराने को महिलाओं का एक अधिकार बताया था।
- विदित है कि ये पूरा मामला टेक्सास की एक 22 वर्षीय अविवाहित और बेरोजगार महिला नोर्मा मैककोर्वे से जुड़ा था।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1973 में उनके पक्ष में आया।

- रो ने ये मुकदमा टेक्सास के डलास काउंटी के जिला अटॉर्नी हेनरी वेड पर दायर किया था, जिनका काम राज्य के उस कानून को लागू करना था, जो गर्भपात को मां के जीवन को खतरे की हालत में होने के अलावा प्रतिबंधित करता था।
- रो ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि टेक्सास का कानून असंवैधानिक है और निजता के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार का उल्लंघन करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उनका प्रश्न था कि क्या संविधान गर्भपात के महिला के अधिकार को मान्यता देता है?
- सुप्रीम कोर्ट ने तब 7-2 बहुमत की राय के साथ इसके पक्ष में निर्णय दिया था।

रो बनाम वेड मामला और संबद्ध मुद्दे

- रो बनाम वेड मामले में कई राज्यों में गर्भपात को अवैध बनाने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया गया था।
- निर्णय में कहा गया था कि गर्भपात को भ्रूण की व्यवहार्यता के बिंदु तक अनुमति दी जाएगी, अर्थात वह समय जिसके बाद भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है।
- विदित है कि लगभग 50 साल पहले 'रो' फैसले के समय भ्रूण की व्यवहार्यता लगभग 28 सप्ताह (7 महीने) थी।
- विशेषज्ञ अब इस बात से सहमत हैं कि दवा के क्षेत्र में प्रगति ने सीमा को 23 या 24 सप्ताह (6 महीने या थोड़ा कम) तक ला दिया है और नए अध्ययनों से पता चलता है कि इसे 22 सप्ताह में और अधिक आंका जा सकता है। एक औसत गर्भावस्था लगभग 40 सप्ताह तक होती है।

भ्रूण की व्यवहार्यता

- भ्रूण की व्यवहार्यता को अक्सर उस बिंदु के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिस पर महिला के अधिकारों को अजन्मे भ्रूण के अधिकारों से अलग किया जा सकता है।
- गर्भावस्था की लंबाई की गणना सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के सबसे हाल के मासिक धर्म की शुरुआत से की जाती है।
- चूंकि बहुत से लोग छठे सप्ताह के बाद ही गर्भावस्था की पहचान करते हैं, इसलिए पूर्व-व्यवहार्यता समय सीमा महिलाओं को गर्भपात का निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय और अवसर देती है।

रो वी वेड पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- 'पॉलिटिको' द्वारा प्राप्त मसौदा राय में न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो ने 'रो' को "प्रारम्भ से ही अनुचित" बताते हुए इसे निरस्त कर दिया था और माना था कि ऐतिहासिक गर्भपात निर्णय 'रो' और 'केसी' के तहत महिलाओं को प्राप्त भ्रूण की व्यवहार्यता के बिंदु तक गर्भधारण को समाप्त करने के अधिकार को निरस्त किया जाना चाहिए।
- पोलिटिको द्वारा उद्धृत बहुमत की राय के अनुसार, गर्भपात के मुद्दे को लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपना चाहिए।
- रो निर्णय अप्रासंगिक और स्पष्ट रूप से गलत था। प्रस्तुत तर्क "असाधारण रूप से कमजोर" था और निर्णय के "हानिकारक परिणाम" का कारण बना।
- अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि गर्भपात का अधिकार राष्ट्र के इतिहास और परंपराओं में गहराई से निहित नहीं है।

केसी मामला, 1992

- इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड मामले में अपने निर्णय का अवलोकन किया और संशोधित किया।
- कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि गर्भपात करने का विकल्प चुनने का एक महिला का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है।
- हालांकि, इसने भ्रूण की व्यवहार्यता (जिस समय के बाद एक भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है) निरस्त कर दिया।
- इसने गर्भपात प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए सख्त जांच मानदंडों को भी समाप्त कर दिया।

इन निर्णयों का महत्व

- इन निर्णयों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को चौदहवें संशोधन में अत्यधिक व्यक्तिगत निर्णयों के साथ सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रतिष्ठापित के रूप में मान्यता दी।

गर्भपात के मुद्दे पर सामाजिक और वैचारिक संघर्ष

- इसके परिणामस्वरूप डेमोक्रेट (गर्भपात समर्थक) और रिपब्लिकन (रूढ़िवादी, गर्भपात विरोधी) के बीच एक सामाजिक और वैचारिक संघर्ष को जन्म दिया।

- इसने देश के पहले से विभाजित समाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है।

किन मुद्दों पर निर्णय की आलोचना की जा रही है?

- वर्तमान निर्णय से महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा।
- कई महिलाओं का कहना है कि यह निर्णय उनके अपने शरीर पर उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, निर्णय महिलाओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक में बदल देगा।
- उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि लगभग 30 राज्यों में रहने वाली 36 मिलियन महिलाएं, इस निर्णय से प्रभावित होंगी।

वर्तमान निर्णय का अमेरिका पर प्रभाव

- चूंकि वर्तमान में अमेरिका में गर्भपात के अधिकार की रक्षा करने वाला कोई संघीय कानून नहीं है, फलतः 'रो' निर्णय को निष्प्रभावी करने से गर्भपात कानून पूरी तरह से राज्यों के निर्णय पर निर्भर हो जाएगा।
- रूढ़िवादी राज्य संभवतः उन प्रतिबंधात्मक कानूनों को वापस लाएंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1973 में भ्रूण व्यवहार्यता मानक निर्धारित करने से पहले गर्भपात को प्रतिबंधित करते थे।
- न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अनुमान के अनुसार, 22 राज्यों में विधायिका गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने या काफी हद तक प्रतिबंधित करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएगी और ज्यादातर मामलों में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब महिलाओं पर पड़ेगा।
- न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में 2013 और 2016 के बीच टेक्सास में गर्भपात क्लीनिकों के बंद होने के प्रभावों के आधार पर अनुसंधान का हवाला देते हुए उल्लिखित किया गया है कि 'रो' की सुरक्षा के बिना, अमेरिका में कानूनी गर्भपात की संख्या में कम से कम 14% की गिरावट आ सकती है।
- कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील राजनेताओं ने कहा है कि क्लीनिक की उपलब्धता और बीमा भुगतान महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन्हे संबोधित किए जाने की महत्ता को रेखांकित किया गया।

भारत में गर्भपात कानून की स्थिति

- भारत का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति प्रदान करता है।
- विदित है कि 2021 में एक संशोधन के माध्यम से गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया था, लेकिन यह केवल विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं जैसे कि बलात्कार या अनाचार से प्रभावित लोगों के लिए है। जिसके अंतर्गत दो पंजीकृत डॉक्टरों की स्वीकृति के प्रावधान हैं।
- संशोधन के अनुसार, 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है, वहीं 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
- अगर डॉक्टर यह मानते हैं कि गर्भावस्था जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर हानि हो सकती है या इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा होता है, तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता का शिकार होगा, तभी गर्भपात कराया जा सकता है।
- कई बार जानकारी के अभाव में असुरक्षित गर्भपात के कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, गर्भपात के दौरान गड़बड़ी के कारण भारत में हर दो घंटे में एक महिला की मौत होती है, जबकि भारत में गर्भपात कानूनी तौर पर वैध है।
- भ्रूण की अक्षमता के मामले में गर्भपात की समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्थापित विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है।
- दुनिया भर के लगभग 16 देशों में गर्भपात पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यहां तक कि इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। किन्तु कई कैथोलिक बहुसंख्यक देशों जैसे आयरलैंड और मैक्सिको ने पिछले एक दशक में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) एक्ट के तहत गर्भावस्था की दूसरी तिमाही तक गर्भपात करना पूरी तरह से वैद्य है।
- यद्यपि यह कानून महिलाओं को उनके शरीर पर अधिकार दिलाने के लिए नहीं, अपितु जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था।

- गर्भपात की स्थिति को तय करने के लिए मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। इनकी समीक्षा के बाद ही भारत में किसी स्त्री के लिए गर्भपात संभव है।
- एमटीपी एक्ट की अनदेखी कर गर्भपात कराया जाना, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 312 के तहत अपराध है।

स्रोत: द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस